राजस्थान सरकार (625)

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.5(1192)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांक 09-11-2010

आदेश

विषय : "प्रशासन गांवों की ओर" शिविरों में नगरीय क्षेत्रों में सरकारी संस्थानों/नगरीय सीमा में गांवों के लिये भूमि आवंटन करने तथा पट्टे जारी करने बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 तक "प्रशासन गांवों की ओर" चलाया जा रहा है । इस अभियान में शहरी क्षेत्रों में जो गांव सम्मिलित किये गये है वहां पर सरकारी संस्थानों को भूमि आवंटन तथा पट्टे जारी करने तथा संबंधित गांव की आवश्यकतानुसार जैसे आबादी विस्तार, आंगनवाडी, स्वास्थ्य उप केन्द्र, शमशान आदि जन सुविधाओं हेतु भूमि चिन्हित की जानी है। इस हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जावे :-

1. अभियान के दौरान आयोजित किये जाने वाले शिविरों में प्राधिकरण/न्यास की कम से कम दो सदस्यों की एक टीम भिजवाई जावे, जिसमें तहसीलदार/नायब तहसीलदार, सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता स्तर के अधिकारी भाग लेगें । इन अधिकारियों द्वारा शिविर में भूमि आवंटन के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जाये; साथ ही गांव की आबादी विस्तार व जन सुविधाओं हेतु आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार किया जायें ।

2. उपरोक्त प्रस्ताव को भूमि आवंटन समिति जिसे विशेष रुप से अभियान की अवधि के लिए गठन किया जा रहा है, के समक्ष प्रस्तुत किया जायें । इस आवंटन समिति की बैठक सुविधानुसार अभियान की अवधि में ही की जाये ।

3. उक्त आवंटन समिति में निम्न अधिकारी होगें :-

1.	प्राधिकरण का उपायुक्त, यदि न्यास है तो सचिव	अध्यक्ष
2.	संबंधित उपखण्ड अधिकारी या जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत अधिकारी	सदस्य
3.	संबंधित उप नगर नियोजक	सदस्य

4. कुछ संस्थानों को पूर्व में भूमि आवंटन की जा चुकी है या जिनका नियमन पूर्व में हो चुका है मगर उन्हे अभी तक भूमि का पट्टा जारी नहीं किया गया है। इस कार्य को भी प्राथमिकता से इस अभियान के दौरान पूर्ण कर लिया जायें ।

5. उक्त आवंटन समिति निर्धारित मापदण्ड व स्थानीय आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए गांवों की आबादी विस्तार व जन सुविधाओं हेतु भूमि set apart एवं सरकारी संस्थानों को निःशुल्क भूमि आवंटन करेगी।

यह आदेश जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं राज्य की समस्त नगर सुधार न्यास क्षेत्र के लिये जारी किया जाता है ।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, ...।
6. समस्त जिला कलक्टर ....।
7. आयुक्त, जोधपुर/जयपुर विकास प्राधिकरण ।
8. समस्त सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान ।
9. शासन उप सचिव, प्रथम / द्वितीय नगरीय विकास विभाग

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव